न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 35 /2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1– श्री गंगाराम पुत्र तेजा चमार निवासी बड़ेसरा
2– श्रीमति फुमा पत्नी तेजा चमार निवासी बड़ेसरा
3– श्री रामचन्द्र पुत्र तेजा चमार निवासी बड़ेसरा
4– श्री भैरू पुत्र गोकल चमार निवासी बड़ेसरा

– प्रार्थीगण

बनाम

1– श्री राजु पत्र धन्ना गाडरी निवासी बड़ेसरा
2– श्री गाकुल पुत्र पोखर चमार निवासी बड़ेसरा
3– श्री रामपाल पुत्र बालू चमार निवासी बड़ेसरा
4– श्री कालु पुत्र गोकल चमार निवासी बड़ेसरा
5– श्री धन्ना पुत्र प्रताप चमार निवासी बड़ेसरा
6– श्री रामेश्वर पुत्र लक्ष्मण चमार अ
7– श्री रामकुवार पुत्र बख्तावर जाट निवासी बड़ेसरा
8– श्री कालू पुत्र रामपाल जाट निवासी बड़ेसरा
9– श्री भागचंद पुत्र रामस्वरूप जाट निवासी बड़ेसरा
10– श्री जमना पुत्र बजरंगदास वैष्णव निवासी बड़ेसरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री अक्षयराज रेबारी**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 21/10/2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम **बड़ेसरा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर** 1066 **रकबा** 0.03 **है0**, 1067 **रकबा** 0.22 **है0**, 179 **रकबा** 0.03 **है0**, 180 **रकबा** 0.31 **है0**, 691 **रकबा** 0.04 **है0**, 742 **रकबा** 0.25 **है0**, 743 **रकबा** 0.29 **है0**, 744 **रकबा** 0.06 **है0**, 745 **रकबा** 0.30 **है0**, 746 **रकबा** 0.36 **है0** कुल **किता** 11 **रकबा** 2.25 **है0** हैक्टेयर का प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम बड़ेसरा संवत 2076** से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर मौजा **बड़ेसरा** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात में से **आराजी नम्बर 691 रकबा 0.04 है0 गे0मु0 बाड़ा को छोड़कर शेष किता** 10 **रकबा** 2.21 **है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी <u>**ऑफ सीजन में**</u> किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **450/–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **21/10/2020** को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shilpa S
Date: 2021.01.29 11:40:34
Reason: SelfAttested

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर